

268

144

1

निगम-4504/सिंगरौली/भूरा/2018

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)



रूपऊआ पुत्री रामनाथ बैसवार पत्नी अंजनी कुमार बैसवार, सा0 चिनगी
टोला, तहसील-सिंगरौली, जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

—आवेदिका

बनाम

1. धनवन्ती पुत्री रामनाथ पत्नी रामरक्षा वैश्य
2. धर्मराज पिता रामरक्षा माता धनमन्ती वैश्य
3. ललन पिता रामरक्षा माता धनमन्ती वैश्य
4. मु. हीरामती पत्नी छोटेलाल वैश्य, सा धनमन्ती.
5. गुड़ीया पुत्री छोटेलाल नाबालिग माता हीरामती
6. कमलेश कुमारी पति मुकलाल प्रजापति,

सभी निवासी चिनगी टोला, तहसील-सिंगरौली, जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

—अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् नायब
तहसीलदार महोदय वृत्त खुटार तहसील
सिंगरौली के प्रकरण क्र0 189/अ-74/
2017-18 में पारित आदेश दिनांक
04.06.2018 का "पुनश्च" अंश भाग।
अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व
संहिता.

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि अपीलार्थी ने तहसीलदार अमिलिया तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्र. 204/अ-6/03-04 में पारित आदेश दिनांक 26.07.

ABM

144

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....१.५६०५/सि.ग.रो.जी/अ.१०/१८ जिला.....सि.ग.रो.जी

.....रूप ऊआ विरुद्ध धनवती वैश्य

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>जय प्रकाश सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील <u>सि.ग.रो.जी (ब्लक खुल्वा)</u> के प्रकरण क्रमांक <u>189/अ-74/2017-18</u> में पारित आदेश दिनांक <u>04.06.18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सि.ग.रो.जी</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29.03.19</u> को कलेक्टर <u>सि.ग.रो.जी</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>सदस्य</u></p>	

ADMI
18/1